जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

93/17

मुन्तकिली प्रकरण सं0 93/2017 अनवानी नविता पुत्री अमरचंद जाति **बिश्नोई नि0 घड़साना हाल एसएच** 7, रिद्धि सिद्धि कॉलोनी हनुमानगढ़ **रोड़, श्रीगंगानगर हाल 404 ए ब्लॉक,** फैण्डस पैराडाईज अपार्टमेंट, इन्द्रा **विहार कॉलोनी, नीयर ऐलन, कोटा** बनाम 1–श्योराम वर्मा उपखण्ड **अधिकारी, घड़साना 2–भागवन्ती** पत्नि रामकुमार 3–सरिता पुत्री **रामकुमार 4– पुनितकुमार पुत्र रा**मकुमार अकवाम बिश्नोई निवासीयान **4च14 जवाहरनगर, जयपुर 5–दे**वेन्द्र कुमार पुत्र रामकुमार जाति **बिश्नोई निवसी प्लाट न0 ए 107** जय जवान कॉलोनी प्रथम टोंक रोड़, **जयपुर 6–उपपंजीयक घड़साना 7–**तहसीलदार घड़साना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

08.11.2017

प्रार्थीया के अभिभाषक श्री जीतपाल सिंह सैनी उपस्थित है। उन्हे एडमिशन के बिन्दु पर सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीया के अभिभाषक श्री जीतपाल सिंह सैनी का कथन है कि उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के न्यायालय में प्रार्थीया ने एक दावा संख्या 126/2014 धारा 88, 188 आरटीए मय प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीए इस आश्य का प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से चक 7 जीडीबी तहसील घड़साना के मु0न0 21, 24, 25 की कुल 5.541 हे0 अनकमाण्ड भूमि व मु0न0 12 की 2.277 हे0 कुल 3.542 हे0 कमाण्ड अनकमाण्ड भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इसके अलावा मौजा घड़साना के खसरा न0 59 की 25 बीघा 1 विस्वा व खसरा न0 108 की 14 बीघा 10 विस्वा भूमि रामकुमार के नाम से कस्टोडियन में आवंटित है। स्व0 रामकुमार प्रार्थीया के चाचा है और स्व0 रामकुमार ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि का तमलीकनामा वादीया के गुजारा तमलीक हेतु दि0 8.5.72 को रोबरू गवाहान उसके पक्ष में उपपंजीयक अनूपगढ़ से पंजीबद्ध करवाया गया है जिसके आधार पर वादीया भूमि अपने नाम करवाना चाहती है। उनक आगे कथन है कि प्रतिवादीगण ने भूमि का विरासतन इंतकाल अपने नाम करवा लिया है। वाद प्रकरण में भी प्रतिवादीगण ने उपस्थित आकर अपना जबाब पेश किया है तथा प्रकरण में तारीख पेशी 26.09.17 बहस के लिए निश्चित थी। उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी सं0 5 देवेन्द्रकुमार का पीठासीन अधिकारी से सम्पर्क हो चुका है पिछली कुछ पेशियों पर अप्रार्थी देवेन्द्रकुमार को घड़साना जाकर पीठासीन पधिकारी से मिलते देखा गया है जिस कारण प्रार्थीया को पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की उम्मीद नही है। अप्रार्थी सं0 5 का पीठासीन अधिकारी से सम्पर्क के बाद

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

P.T.O.

दिनांक 15.9.17, 18.9.17, 19.8.17 की लगातार पेशीयां दी जा रही है जिससे भी साफ जाहिर है कि पीठासीन अधिकारी प्रतिवादीगण की एकतरफा मदद करना चाहते है और पीठासीन अधिकारी ने भी न्यायालय में ऐसा इजहार किया है कि वादीया/प्रार्थीया का वादपत्र खारिज कर दिया जावेगा। अप्रार्थी सं0 5 भी ऐलानिया कह रहा कि उसकी पीठासीन अधिकारी से सेटिंग हो गयी है इसलिए भी फैसला उनके पक्ष में ही होगा। इस प्रकार प्रार्थीया को पीठासीन पधिकारी से न्याय मिलने की आशा नही है। इसलिए मुन्तकिली प्रार्थना पत्र सुनवाई के लिए ग्रहण किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय में लंबित उक्त वाद प्रकरण मय प्रा0 पत्र को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।

मैने प्रार्थीया के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थीया के मुन्तकिली प्रा0 पत्र एवं साथ में प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार उपखण्ड अधिकारी घड़साना के न्यायालय में वाद संख्या 126/2014 नविता बनाम भागवन्ती वगैरा धारा 88, 188 आरटीए मय प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीए का लंबित है। प्रार्थीया ने उक्त लंबित वाद प्रकरण मय धारा 212 आरटीए प्रा0 पत्र को इस आधार पर मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की है कि अप्रार्थी सं0 5 देवेन्द्रकुमार का पीठासीन अधिकारी से सम्पर्क हो गया है और पीठासीन अधिकारी एकतरफा उनकी मदद करना चाहते है। जिस कारण उन्हे निष्पक्ष न्याय नही मिलेगा। प्रार्थीया द्वारा लगाये गये उक्त आरोप साधारण प्रकृति के है जो मुकदमा मुन्तकिली का कोई ठोस आधार नही बनाते है। मुकदमा मुन्तकिली के लिए कोई ठोस आधार होना आवश्यक है जिसका इसमें पूर्णतया अभाव है। इसलिए प्रार्थीया का मुन्तकिली प्रा0 पत्र सुनवाई हेतु ग्रहण करने योग्य नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र एडमिशन की स्टेज पर ही खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर